



Neutral Citation No. 2026:AHC:17519

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट बी संख्या- – 116 / 2026

कन्हैया

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता :

मुन्ना तिवारी

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

मुख्य स्थाई अधिवक्ता मुन्ना तिवारी

न्याया कक्ष संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मुन्ना तिवारी और राज्य-प्रत्यर्थी के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री पंकज कुमार को सुना गया।
2. यह रिट याचिका परमादेश की प्रकृति का कोई रिट आदेश या निर्देश जारी करने की मांग करते हुए दायर की गई है जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 को यह निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता को विवादित भूमि पर खेती करने और फसल काटने से न रोकें और राजस्व परिषद लखनऊ द्वारा दिनांक 26.8.2025 को पारित आदेश का पालन करें।
3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह दलील दी कि राजस्व परिषद द्वारा अंतरिम आदेश दिए जाने के बावजूद जबकि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 210 के तहत पुनरीक्षण लंबित है प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 याचिकाकर्ता के कब्जे में हस्तक्षेप कर रहे हैं अतः उचित निर्देश जारी किया जाए जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 को विवादित भूखंड पर खेती करने के संबंध में याचिकाकर्ता के कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोका जाए।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह दलील दी कि याचिकाकर्ता ने इस रिट याचिका में निजी पक्षों को पक्षकार नहीं बनाया है अतः इस रिट याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अंतरिम आदेश याचिकाकर्ता द्वारा राजस्व परिषद के समक्ष दायर किए गए पुनरीक्षण मामले में पारित किया गया था अतः परमादेश के लिए दायर की गई इस रिट याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता।
5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।
6. चूंकि उ० प्र० भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 34 के तहत की गई कार्यवाही से उत्पन्न पुनरीक्षण मुकदमा राजस्व परिषद के समक्ष लंबित है और अंतरिम आदेश प्रभावी है अतः परमादेश रिट के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष निषेधाज्ञा की मांग पर विचार नहीं किया जा सकता।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. समस्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए इस मामले में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. रिट याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

27 जनवरी 2026

सी. प्रकाश

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"